



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 40 राँची, शुक्रवार,

10 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 जनवरी, 2025

पत्रांक : -13/आई०पी०एस०-124/2024-04--

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, राँची ।

विषय :-

श्री मनीष टोप्पो, भा०पु० से० (2017) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी

दिनांक-04.07.2024 से 28.08.2024 तक की प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री मनीष टोप्पो, भा०पु०से० (2017) के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-4071/सी., दिनांक-03.07.2024 तदनुसार पुलिस मुख्यालय के गत्यादेश सं०-644/जी, दिनांक-03.07.2024 के आलोक में दिनांक-04.07.2024 के पूर्वाहन में पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसाँवा का प्रभार सौंप कर दिनांक-08.07.2024 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में

योगदान दिया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं०-5126/सी., दिनांक-27.08.2024 तदनुसार पुलिस मुख्यालय के गत्यादेश सं०-800/जी, दिनांक-28.08.2024 के आलोक में दिनांक-29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया। इस बीच श्री मनीष टोप्पो दिनांक-04.07.2024 से 28.08.2024 तक प्रभार रहित / पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं है ।

2. अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के मौलिक नियम 9(6) (a) (ii) तथा 9(6) (b) (i) एवं इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) (2) तथा 14 (ख) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्री मनीष टोप्पो, भा०पु०से० (2017), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के दिनांक-04.07.2024 से 28.08.2024 तक की प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप से कर्तव्य अवधि के रूप में सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक-04.07.2024 से दिनांक-07.07.2024 पारगमन काल के रूप में ।

(ii) दिनांक-08.07.2024 से 28.08.2024- पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि

विश्वासभाजन,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।
